



संदर्भ सं.राबैं.डीएफआईबीटी/ 2948-2989 / डीएफआईबीटी - 23/2020-21

21 सितंबर 2020

परिपत्र सं. 255 / डीएफआईबीटी - 09 /2020

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय/ महोदया,

<p>वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय समावेशन निधि से वित्तीय सहायता</p> <p>कृपया वित्तीय समावेशन निधि हेतु विभेदित रणनीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविरों के लिए प्रदत्त सहायता के बारे में हमारा परिपत्र संख्या 105 / DFIBT-04/2019 दिनांक 23 अप्रैल 2019 देखें.</p> <p>2. वित्तीय समावेशन निधि के सलाहकार बोर्ड की हाल में आयोजित बैठक में इस विषय की समीक्षा की गई और एफआईएफ के सलाहकार बोर्ड की 26वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर, अब तत्काल प्रभाव से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय साक्षरता केन्द्रों को भी वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविरों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी.</p> <p>3. उक्त परिपत्र के अन्य निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगी.</p>	<p>Financial support under Financial Inclusion Fund for conducting Financial Literacy Awareness Programmes through FLCs</p> <p>Please refer to our Circular No. 105/DFIBT-04/2019 dated 23 April 2019 regarding the support provided for financial and digital literacy camps through FLCs of RRBs and RCBs under differentiated strategy for Financial Inclusion Fund.</p> <p>2. The same was reviewed in the recent meeting of the Advisory Board of FIF and based on decisions taken in the XXVI meeting of the Advisory Board of FIF, the support is now extended to FLCs of Scheduled Commercial Banks also for conducting financial and digital literacy camps with immediate effect.</p> <p>3. All other terms and conditions prescribed in the circular ibid remain the same.</p>
---	--

भवदीय,

(डॉ. ए आर खान)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2653 0024 • फैक्स : +91 22 2653 0150 • ई-मेल : dfibt@nabard.org

Department of Financial Inclusion & Banking Technology

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2653 0024 • Fax : +91 22 2653 0150 • E-mail : dfibt@nabard.org